

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:प.8(ग)() (PSKS) अभियान-2021 / नियम / डीएलबी / 21 / 68191

दिनांक: 27/9/21

परिपत्र

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 69-ए संशोधित (2021) एवं इसके अन्तर्गत विरचित नियम Rajasthan Municipalities (Surrender of Non-Agricultural Land and Grant of Freehold Lease) Rules, 2015 (read with Amended 2021) के सन्दर्भ में नगर निकायों द्वारा समय-समय पर चाहे गये मार्गदर्शन एवं शंकाओं के संबंध में प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 को मध्यनजर रखते हुए ऐसे प्रकरणों का निस्तारण त्वरित गति से किये जाने हेतु निम्नप्रकार दिशा-निर्देश एवं शिथिलता प्रदान की जाती है:-

- 1. Rajasthan Municipalities (Surrender of Non-Agricultural Land and Grant of Freehold Lease) Rules, 2015 एवं संशोधित नियम 2021 के नियम 4(1)(iv) के सन्दर्भ में समर्पित की जाने वाली भूमियों का दायरा (Scope) निम्न प्रकार होगा -**
 - (i) शहर का चार-दीवारी आबादी क्षेत्र/सिटी-सर्वे क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गैर-मुमकिन आबादी भूमि।
 - (ii) रियासतकालीन समय से राजा-महाराजाओं/ठिकानेदारों द्वारा अपने स्वामित्व की गैर-कृषि भूमि पर बसाई हुई कॉलोनियां।
 - (iii) ग्रामीण क्षेत्र कृषि भूमि रूपान्तरण नियम 1971, 1992 2007 एवं नगरीय क्षेत्र कृषि भूमि रूपान्तरण नियम, 1981 के तहत जारी संपरिवर्तन आदेशों से संबंधित भूमि।
 - (iv) राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी में अंकित गैर-कृषिक भूमियां जिस पर निर्माण हो चुका है।
- 2. उपरोक्त श्रेणियों की भूमियों का प्रूफ ऑफ राइट का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :-**
 - (क) रियासतकालीन समय से राजा/जागीरदार/ठिकानेदार द्वारा जारी किये गये पट्टे /रजिस्ट्रीयों/दानपत्र/बक्शीसनामा/बही पत्र/तत्समय के अन्य कोई दस्तावेज एवं राज्य अभिलेखागार/जिला कलक्टर के रिकॉर्ड से प्राप्त पट्टे व अन्य दस्तावेज।

अथवा
 - (ख) कस्टोडियन के पट्टे/आवंटन पत्र।

अथवा
 - (ग) परकोटा क्षेत्र के सिटी सर्वे में दर्ज निजी स्वामित्व की भूमि/भवन के दस्तावेज।

अथवा
 - (घ) पूर्व में नगर निकाय द्वारा जारी स्टेट ग्राण्ट के पट्टे/आवंटन पत्र।

अथवा

(ड़) पंचायत जो नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित हो गई है, द्वारा जारी पट्टा/आवंटन पत्र/अधिकार पत्र इत्यादि।

अथवा

(च) दिनांक 01.01.1992 से पूर्व के निष्पादित बेचाननामा/पारिवारिक बंटवारानामा/वसीयत जिसके आधार पर आवेदक को अधिकार प्राप्त है तथा वर्तमान में उसका संबंधित सम्पत्ति पर अधिकार/कब्जा है।

अथवा

(छ) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में स्वामित्व के संबंध में पारित आदेश एवं डिक्री।

अथवा

(ज) नगर निकाय द्वारा दिनांक 01.01.1992 से पूर्व जारी की गई निर्माण स्वीकृतियां।

अथवा

(झ) बिन्दू संख्या (क) से (ज) तक उल्लेखित दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं होने पर संबंधित सम्पत्ति पर निर्विवाद कब्जे के साथ-साथ निम्नांकित में से कोई दो दस्तावेजों के आधार पर प्रूफ ऑफ राइट का निर्धारण किया जा सकेगा :-

(i) दिनांक 01.01.1992 से पूर्व के बिजली/पानी के बिल।

(ii) दिनांक 01.01.1992 से पूर्व की वोटर लिस्ट।

(iii) दिनांक 01.01.1992 से पूर्व की गृहकर की रसीद या नगर निकाय के रिकॉर्ड में अंकन।

(iv) दिनांक 01.01.1992 से पूर्व की नगर निकाय रिकॉर्ड में दर्ज कोई अन्य प्रविष्टि जिसमें आवेदक का सम्पत्ति पर अधिकार विदित हो।

(v) आस-पड़ोस के 60 वर्ष से अधिक उम्र के दो व्यक्तियों के शपथ पत्र जिसमें दिनांक 01.01.1992 से पूर्व आवेदक का सम्पत्ति पर निर्विवाद कब्जा/अधिकार दर्शाया जावे।।

(vi) आवेदित मकान के पते पर दिनांक 01.01.1992 से पूर्व की प्राप्त डाक एवं निकाय द्वारा या किसी राजकीय विभाग या उपक्रम या न्यायालय का नोटिस अथवा अधिकारिक दस्तावेज जिसमें प्रश्नगत भूमि व स्वामित्व को अंकित किया गया है।

(vii) दिनांक 01.01.1992 से पूर्व के स्टाम्प पर तस्दीकशुदा किरायानामा जो मकान मालिक द्वारा अपने पक्ष में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ज) राजा महाराजाओं/जागीरदारों आदि द्वारा जारी पट्टे/रजिस्ट्रियां/दान-पत्र से लेकर आवेदक तक स्वामित्व के सम्पूर्ण दस्तावेज।

(ट) प्राधिकृत अधिकारी के रूपान्तरण आदेश के आवंटन पत्र से लेकर आवेदक तक के स्वामित्व के सम्पूर्ण दस्तावेज।

(ठ) यदि गैर-मुमकिन आबादी गैर-कृषि भूमि खातेदारी तौर पर दर्ज है तो आवेदनकर्ता तक के स्वामित्व के सम्पूर्ण दस्तावेज।

नोट:-

(i) मूल दस्तावेजों की कड़ी में यदि कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं भी है या खो गया है तो ऐसी स्थिति में आवेदक से इस आशय का एक शपथ पत्र एवं कब्जा साक्ष्य बिन्दू 2 (झ) के अनुसार लिया जाकर निकाय द्वारा सार्वजनिक विज्ञप्ति 7 दिवस की जारी की जावेगी।

- (ii) Rajasthan Municipalities (Surrender of Non-Agricultural Land and Grant of Freehold Lease) Rules, 2015 के नियम 4 के उपनियम (iv) में शब्द "Duly Attested Proof of Rights" का अर्थ स्व-प्रमाणित स्वामित्व दस्तावेजों के साथ दस्तावेजों के सत्यापन हेतु आवेदक का शपथ पत्र प्रस्तुत करने से है।
- (iii) आवेदित भूखण्ड का कब्जा प्रमाणित नहीं होने की स्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की राज्य अभिलेखागार/जिला कलक्टर रिकॉर्ड रूम/नगर निकाय से प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाकर प्रस्तुत की जा सकेगी।
- (iv) पट्टा जारी करने से पूर्व आवेदक से अधिकार सबूत (प्रूफ ऑफ राइट्स) के मूल दस्तावेज निकाय में समर्पण करवाये जायेंगे।
3. पुरानी आबादी क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों अनुसार सम्पतियों पर निम्नांकित मापदण्ड लागू होंगे—

(क) सामान्य बिन्दु जो सभी पर लागू होंगे—

- (i) धारा 69-ए के अन्तर्गत जारी किये गये पट्टे भूखण्ड/भवन के स्वामित्व का प्रमाण होगा। यह पट्टा भूखण्ड पर निर्मित भवन का नियमन/स्वीकृति नहीं होगी। ऐसे भूखण्डों पर उपविधि के विपरीत किये गये निर्माण पर कार्यवाही करने हेतु नगरीय निकाय स्वतंत्र होगा।
- (ii) आम रास्ते/सुविधा क्षेत्र पर किये गये अतिक्रमण का पट्टा नहीं दिया जावेगा। (अतिक्रमण का सत्यापन पूर्व में किये गये सिटी सर्वे या अन्य दस्तावेजों से किया जा सकता है।)
- (iii) शहर के परकोटे क्षेत्र में स्थित बाजारों में इक ढालिया/बरामदे के क्षेत्र एवं बरामदे की छत पर किये गये निर्माण व कब्जे का पट्टा नहीं दिया जायेगा।
- (iv) परकोटे क्षेत्र में जहां परम्परागत रूप से व्यावसायिक गतिविधियां (नीचे दुकाने-ऊपर मकान) चल रही हैं, वहां मिश्रित उपयोग का पट्टा जारी किया जा सकेगा। शेष में आवासीय/संस्थानिक/व्यावसायिक/होटल का पट्टा दिया जावेगा। पट्टा देते समय हैरिटेज के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित कराने हेतु शपथ पत्र लिया जायेगा।
- (v) चारदीवारी/परकोटे क्षेत्र में स्थित भूखण्डों में पुर्नगठन/उपविभाजन नियम व संबंधित शुल्क लागू नहीं होंगे (नविवि के आदेश क्रमांक प 10 (65) नविवि/3/4 दिनांक 21.10.20)
- (vi) ऐसे प्रकरण जिनमें किसी न्यायालय का स्थगन प्रभावी है या भवन सील है, पट्टे देने की कार्यवाही नहीं की जायेगी। इनकी अलग से सूची बनाकर अभियान के द्वितीय फेज में परीक्षण किया जावेगा।
- (vii) यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी सम्पत्ति के हैरिटेज स्वरूप में अमूल चूल परिवर्तन कर हैरिटेज नियमों का घोर उल्लंघन किया है, तो ऐसे प्रकरणों की अलग से सूची बनाकर अभियान के द्वितीय फेज में परीक्षण कर निर्णय लिया जावेगा।
- (viii) जयपुर व कई अन्य शहरों में पुराने नोहरों में भी लोगों द्वारा आवास किया जा रहा है। ऐसी सम्पतियां यदि नजूल सम्पत्ति की श्रेणी में आती हैं, तो उनको आवंटन करने तथा इसकी दरें अलग से राज्य सरकार द्वारा तय की जावेगी।

(ख) जयपुर चारदीवारी (परकोटा) क्षेत्र के लिए—



- (i) परकोटे की दीवार के दोनो तरफ 5-5 मी. की दूरी के क्षेत्र का पट्टा नहीं दिया जावेगा। (डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 5158/2010 एवं 1220/2010)
- (ii) ऐसे भवनों जिनमें JAIPUR NAGAR NIGAM HERITAGE (WALLED CITY) HERITAGE CONSERVATION AND PROTECTION BYELAWS - 2020 या हैरिटेज गार्डइलाइन का उल्लंघन किया गया है, उनके भवन मालिकों से पट्टा देने से पूर्व भवन विनियमों की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में शपथ-पत्र लिये जावेंगे।
- (iii) अन्य दस्तावेजों के अलावा वर्ष 1928 व 1942 में किये गये सिटी सर्वे को आधार बनाया जा सकता है।।

(ग) चारदीवारी/परकोटा क्षेत्र के बाहर आबादी/अकृषि भूमि पर बसी कॉलोनियां—

- (i) चारदीवारी/परकोटा क्षेत्र के बाहर आबादी/अकृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों का सर्वे करवाकर ले-आउट प्लान तैयार किया जावेगा।
- (ii) उक्त क्षेत्र में भूखण्डों का पट्टा जारी होने के बाद उपविभाजन एवं पुर्नगठन नियम लागू होंगे तथा नियमानुसार शुल्क लिया जावेगा। सेटबैक का निर्धारण विद्यमान निर्माण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये तय किया जावेगा।
- (iii) उक्त क्षेत्रों में पट्टे मास्टर प्लान/जोनल प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोग को ध्यान में रखते हुये जारी किये जावेंगे।

4. उक्त धारा 69-ए के अन्तर्गत निम्नलिखित भूमियों/भवनों के पट्टे नहीं दिये जा सकेगें :-

- (i) Rajasthan Municipalities (Surrender of Non-Agricultural Land and Grant of Freehold Lease) Rules, 2015 के नियम 3 में वर्णित प्रतिबन्धित क्षेत्र।
- (ii) भूमि, भूमि अर्जन से संबंधित विद्यमान विधि के उपबंधों के अधीन अर्जन के अधीन भूमि
- (iii) रेलवे सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या केन्द्र या राज्य सरकार या इस निमित्त बने केन्द्र या राज्य सरकार के किसी अधिनियम, नियमों में विनिर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संधारित किसी सड़क की सीमाओं के भीतर आने वाली भूमि।
- (iv) नगरीय निकाय की किसी योजना की भूमि
- (v) धारा 90-ए एवं 90-बी के तहत नगर निकाय में निहित भूमियां।
- (vi) सर्वेक्षित/नोटिफाईड कच्ची बस्तियों की भूमियां।
- (vii) अन्य किसी राजकीय विभाग की भूमि या किसी विभाग/उपक्रम की अवाप्त भूमि पर बसी हुई आबादी।
- (viii) नगरपालिका/न्यास/विकास अधिकरण द्वारा किराये/लघु अवधि लीज/लाईसेन्स पर दी गई भूमियां।
- (ix) पूर्व राजा/महाराजा/राजघरानों की ऐसी भूमि/भवन/सम्पत्तियां जो कोविनेन्ट के तहत या अन्य प्रकार से राज्य सरकार के अधीन है या उपयोग में आ रही है अथवा किराये पर है।
- (x) किसी निजी भूमि/सम्पति पर किरायेदार काबिज हैं तो उस किरायेदार को पट्टा जारी नहीं किया जायेगा।
- (xi) Land falling within limits prescribed for any archaeological site/ monument by any order of the Court, Archaeological survey of India and Archaeological Department, Rajasthan.

- (xii) Land belongs to or vests in the Central Government or State Government or statutory or non statutory bodies, authorities or companies established by or under control of the Central Government or State Government, as the case may be, except land vests in the Municipality.
- (xiii) Land belong to deity and waqf.

Note:

- (a) In respect of land falling in the restricted belt or belonging to any oil storage depot, gas godown, petrol pump or any other explosive storage depot, patta will be issued for the existing site/structure but no permission for any new construction shall be given on such land.
- (b) In respect of land falling under the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976, permission will be given with approval of the State Government.

5. नगर निकाय सीमा में स्थित गैर मुमकिन आबादी भूमि जो विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास के नाम दर्ज है तथा नगर निगम/परिषद/पालिका के क्षेत्र में स्थित है, ऐसी भूमि पर स्थित सम्पत्ति का संबंधित नगर निगम/परिषद/पालिका द्वारा पट्टा जारी करने की कार्यवाही की जावेगी।
6. प्रक्रिया:- धारा 69-ए तथा उसके तहत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत फ्री-होल्ड पट्टा प्राप्त करने के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है:-
- (i) आवेदक नगर निगम/परिषद/पालिका क्षेत्र में अवस्थित अधिनियम की धारा 69-ए में वर्णित भूमि संबंधित निकाय के पक्ष में अधिकारियों के अभ्यर्पण (Surrender of Rights) के लिए निर्धारित प्रपत्र-1 में निम्न दस्तावेज संलग्न कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करेगा एवं हार्ड प्रति प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत की जावेगी :-
- प्रपत्र-2 में शपथ पत्र।
 - प्रपत्र-3 में क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र।
 - आवेदित भूखण्ड के स्वामित्व दस्तावेज (प्रूफ ऑफ राइट)।
 - साईट प्लान (प्रत्येक तल की स्थिति दर्शाते हुये) उत्तर दिशा एवं अड़ोस-पड़ोस का नाम तथा भूखण्ड में निर्माण की स्थिति उल्लेखित करते हुए चार प्रतियों में।
 - आवेदक का पहचान पत्र।
 - आवेदित भूखण्ड/भवन की फोटो आवेदक द्वारा स्व-प्रमाणित।
 - नियम 8 में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये शुल्क के अनुसार निर्धारित प्रारूप में स्व-निर्धारण प्रपत्र आवेदक द्वारा स्व-प्रमाणित (शुल्क के लिए अलग से आदेश जारी किये गये हैं।)
- (ii) ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने पर प्राप्त दस्तावेजों के परीक्षण पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी दस्तावेजों में कमी अथवा अन्य दस्तावेज जो आवश्यक समझता है उसकी कमी-पूर्ति हेतु आवेदक को सूचित करेगा।
- (iii) प्राप्त आवेदन पर 7 दिवस की लोक-सूचना एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र के स्थानीय संस्करण में प्रकाशित करवाई जायेगी। प्रकाशन की लागत आवेदक द्वारा वहन की जायेगी।
- (iv) निर्धारित समयावधि में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण एवं कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभ्यर्पण स्वीकार करने का आदेश पारित किया जायेगा। ऐसी गै.मु. आबादी भूमि जो निजी खातेदारी है, में आदेश पारित होने के



पश्चात् संबंधित निकाय के नाम दर्ज कराने हेतु संबंधित तहसीलदार को भेजी जायें, किन्तु पट्टे देने की कार्यवाही रोकੀ नहीं जावे।

- (v) भूखण्डधारी द्वारा दिये गये स्व-माप एवं राशि के स्व-निर्धारण की जांच नगरीय निकाय द्वारा तकनीकी अधिकारी के द्वारा या उनके स्थान पर सहायक राजस्व निरीक्षक/राजस्व निरीक्षक/सफाई निरीक्षक/कनिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ लिपिक/लेखाकार/नगर मित्र में से किसी से भी करवायी जा सकती है।

नोट—

1. यदि आवेदित प्रकरण में भवन पुश्तेनी है, तो आवेदक स्वः प्रमाणित पारिवारिक सजरा/वंशावली प्रस्तुत करेगा एवं उस सजरे के अनुसार सम्पत्ति में जो भी हक रखते हैं, उनका आवेदक के पक्ष में नियमानुसार हक त्याग पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके अनुसार पट्टे की कार्यवाही की जावेगी।
 2. आवेदक द्वारा संबंधित भवन/सम्पत्ति के संबंध में लिंक दस्तावेज (Chain of documents) दिये जावेंगे। लेकिन यदि कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो उसका कारण दिया जावेगा जिसके उपरान्त पट्टा जारी किया जा सकेगा।
7. प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दौरान भूमि का अभ्यर्पण स्वीकार करते हुये अनुज्ञा का निर्णय होने के पश्चात् पट्टा देने के लिए सक्षम स्तर निम्नानुसार होगा :-

(i)	प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर	500 व.मी. तक।
(ii)	स्थानीय एम्पावर्ड समिति के अनुमोदन पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी द्वारा	500 व.मी. से अधिक व 5000 व.मी. तक।
(iii)	राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी द्वारा	5000 व.मी. से अधिक।

नोट:-

- (i) उपरोक्त क्षेत्राधिकार समस्त प्रकार के भू-उपयोग हेतु होगा।
 - (ii) राजकीय कार्यालय के लिए निःशुल्क पट्टा जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी सक्षम होगा।
8. नगर निकायों के पुरानी आबादी क्षेत्रों में कुछ राजकीय कार्यालय वर्षों से चल रहे हैं अतः उन कार्यालय अध्यक्षों द्वारा भी धारा 69-ए के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।
9. आवेदित भूखण्ड पर एक या एक से अधिक तल निर्मित होने पर भिन्न-भिन्न तलों पर विभिन्न व्यक्तियों का या एक ही तल पर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का स्वामित्व होने की स्थिति में समस्त हितबद्ध व्यक्तियों की आपसी सहमति से आवेदन करने पर हितबद्ध व्यक्तियों के संयुक्त नाम से पट्टा जारी किया जा सकेगा, जिसमें कॉमन क्षेत्र उल्लेखित होगा। उक्त पट्टे/पूरक पट्टे की मूल प्रति समस्त हिस्सेदारों को पृथक-पृथक दी जावेगी।
10. आवेदित प्रकरण में मौके पर उपलब्ध भूखण्ड/भवन का क्षेत्रफल आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्वामित्व दस्तावेजों (प्रूफ ऑफ राइट्स) के क्षेत्रफल से अधिक होने की स्थिति में स्वामित्व दस्तावेजों से अधिक क्षेत्रफल की पृथक से तय की गई दरों के अनुसार अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी किया जावेगा।

4

11. स्थानीय निकाय क्षेत्र में कोई विशिष्ट एरिया हो जिस पर विशिष्ट नियम/उपनियम/विधि लागू होते हो तो प्रचलित नियमों के पालना की शर्तें जारी किये जाने वाले पट्टे में अंकित की जावेगी।

12. धारा 69-ए के अन्तर्गत पट्टा मास्टर प्लान/जोनल प्लान में दर्शित उपयोग के अनुसार ही जारी किया जायेगा। लेकिन पुराने बाजार क्षेत्र जहां परम्परागत रूप से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हैं, वहां मास्टर प्लान में आवासीय क्षेत्र में उपयोग नीचे दुकान, ऊपर मकान होने की स्थिति में मिश्रित उपयोग का पट्टा जारी किया जा सकेगा।

13. यदि पूर्व में जारी किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो तो निदेशालय, राज्य अभिलेखागार के कार्यालय से इस बाबत सही स्थिति की जानकारी व सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है। निकाय द्वारा या आवेदक द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। कई शहरों जैसे जयपुर में सिटी सर्वे भी किये गये थे, जिनको refer किया जाकर स्थिति स्पष्ट की जा सकती है।

नोट:- निदेशक, अभिलेखागार, बीकानेर (मुख्यालय) व उसके अधीन उप निदेशक कार्यालय, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अजमेर/भरतपुर/अलवर/कोटा।

14. जयपुर आदि कुछ शहरों के पुराने पट्टे/दस्तावेज उर्दू भाषा/पुरानी लिपि में उपलब्ध है। संबंधित निकाय द्वारा ऐसे पट्टों की लिखित की सही जानकारी प्राप्त करने हेतु उर्दू/पुरानी लिपि ज्ञाता को अभियान अवधि में संविदा पर रखा जाकर देवनागरी लिपि में Transcript तैयार करवाया जावे तथा उसको भूखण्डधारी से स्व-प्रमाणित करवाकर पत्रावली में रखा जावे। उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा भी Transcript प्राप्त कर प्रति नगर निकाय को सौंपी जा सकती है। टोंक में स्थित अरबी, फारसी शोध संस्थान एवं राज्य अभिलेखागार कार्यालय के उर्दू/पुरानी लिपि भाषा के ज्ञाता को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

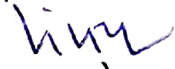
उपरोक्त परिपत्र सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8(ग)() (PSKS) अभियान-2021/नियम/डीएलबी/21/68192-68663 दिनांक: 27/9/21
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
7. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
8. आयुक्त/अधीक्षाधी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
9. अधीक्षक केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान
9. राजपत्र में उपरोक्त परिपत्र प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

प्रपत्र (धारा 69-ए, नियम-8)

रा.न.पा. अधिनियम 2009 की धारा 69 ए के अन्तर्गत पट्टे हेतु माप व क्षेत्रफल एवं देय राशि का स्व-निर्धारण प्रपत्र

नाम आवेदक.....पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री.....

सम्पत्ति का विवरण (पता).....मोबाईल नं.....

क्र.स.	विवरण	अपेक्षित सूचना/दस्तावेज
1.	पट्टे हेतु भूमि का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
2.	भू-खण्ड पर भवन निर्मित है अथवा भू-खण्ड रिक्त है	
3.	निर्मित भवन में मंजिलों की संख्या	
4.	निर्मित भवन का वर्तमान उपयोग	
5.	स्व-निर्धारण से पट्टे हेतु निर्धारित राशि	

(i) राशि की गणना = भूखण्ड का क्षेत्रफलX दर..... =

□

(ii) यदि पूर्व में लीज होल्ड का पट्टा हो तो फ्री होल्ड प्राप्त करने हेतु लीज राशि.....

□ (बकाया पर 60 प्रतिशत की छूट है, 10 वर्ष की एक मुश्त राशि देय होगी)

राशि जमा कराने का विवरण

रूपये.....जमा (नगद/चैक/डी.डी./ऑनलाईन).....दिनांक.....

.....

शपथ

उपरोक्त वर्णित सूचनाएं सही एवं सत्य हैं। उक्त भूमि में किसी प्रकार की अतिक्रमिता भूमि सम्मिलित नहीं है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाने पर उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा एवं निर्धारित शास्ति/दण्ड मुझे स्वीकार होगा तथा भू-खण्ड या भवन के स्वामित्व के संबंध में कोई विवाद होने पर उसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी तथा असत्य सूचना पाए जाने पर मेरे/हमारे विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है एवं पट्टा निरस्त करने का अधिकार नगरीय निकाय को होगा।

प्रमाणित

हस्ताक्षर नगर मित्र

नाम.....

पता.....

रजिस्ट्रेशन नं.....

हस्ताक्षर आवेदक/आवेदिका

(एक से अधिक आवेदक होने पर समस्त आवेदकों के)

आवेदक का नाम.....

स्थायी पता.....

.....

नोट:-इस प्रपत्र के समय भूखण्ड/भवन की रंगीन फोटो (A4 साईज में) लगाई जावें